(97)

न्यायालयः माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0
जिला ग्वालियर म0प्र0

प्र. क्र. निगरानी / /अध्यक्ष / 2017 R 1307-PBR-17

दिनेशसिंह पुत्र श्री ज्ञानसिंह निवासी ग्राम भदरौली, तहसील व जिला ग्वा0 ...प्रार्थी

बनाम

1 अनितासिंह पत्नी स्व0श्री रविन्द्रसिंह निवासी ग्राम भदरौली, तहसील व जिला ग्वालियर म0प्र0

2 म0प्र0शासन ....प्रतिप्रार्थी

श्री जगदीश श्रीवास्तव, अधि0 द्वारा आज दि. 3-5-17 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 3-5-17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

म0प्र0भूराजस्व संहिता की धारा 50 के अंतर्गत माननीय अपर तहसीलदार मुरार ग्वालियर के द्वारा पारित प्रकरण कमाक 39/2015-16 अ-6 अ में पारित आदेश दिनांक 20.04.2016 के निर्णय के विरूद्ध निगरानी

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 1307–पीबीआर/17 जिला ग्वालियर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13–7–2017	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । तहसील न्यायालय के आदेश दिनांक 20–4–17 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के समक्ष आवेदक की ओर से इस आशय की आपत्ति प्रस्तुत की गई है कि बदोबस्त के दौरान हुई त्रुटि को दुरूस्त कराने के लिए म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 89 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने का प्रावधान है, संहिता की धारा 115, 116 के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र प्रचलन योग्य नहीं है, और संहिता की धारा 115, 116 के अन्तर्गत तहसील न्यायालय को सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं है । आवेदक की उपरोक्त आपत्ति को निरस्त करने में तहसील न्यायालय द्वारा प्रथम दृष्टया विधिसंगत कार्यवाही की गई है, क्योंकि संहिता की धारा 115, 116 के अन्तर्गत सुनवाई का क्षेत्राधिकार तहसीलदार को ही है । अतः यह निगरानी प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	